न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या: 52 / 2021(जी.सी.एम.एस. 2021 / 123)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. गोविन्द सिंह पुत्र बुध सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. जगसीर सिंह पुत्र बुध सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 3. जितेन्द्र कौर पत्नी बुध सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 4. बलविन्द्र कौर पुत्री बुध सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 5. सुखविन्द्र कौर पुत्री बुध सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर।	1. कमलजीत कौर पुत्री गुलाब सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. चनन सिंह पुत्र मघर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 21 एच (मृतक) 2/1 मनजीत कौर पत्नी चनन सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2/2 निरंजन सिंह पुत्र चनन सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 3. छिन्द्रपाल कौर पुत्री गुलाब सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 4. जसमेल कौर पुत्री गुलाब सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 5. दर्शन सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 6. प्रगट सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 7. पलविन्द्र सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 8. प्रीतम सिंह पुत्र जसमेल सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 9. बारू सिंह पुत्र मघर सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच (मृतक) 9/1 नसीब कौर पत्नी बारू सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 9/2 गुरजन्ट सिंह पुत्र बारू सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 10. मलकीत कौर पत्नी सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 11. रणजीत सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 12. वीरपाल कौर पुत्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 13. सन्ता सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 14. सर्वजीत कौर पुत्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 15. हरचरण सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 16. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 01.07.2021

उपस्थित:1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता वादीगण

——निर्णय—— दिनांक: 14.12.2023

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 21 एच की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 46/08 के मुरब्बा नम्बर 35, 36, 70/15 की कुल 7.600 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में से वादी संख्या 1 के नाम 0.151 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 के नाम 0.151 हैक्टेयर, वादी संख्या 3 के नाम 0.905 हैक्टेयर, वादी संख्या 4 के नाम 0.150 हैक्टेयर, वादी संख्या 5 के नाम 0.150 हैक्टेयर भूमि सभी वादीगण के नाम 1.507 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का वाहमी बंटवारा किया हुआ है, जिस अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण वाहमी बंटवारा में प्राप्त अपनी-अपनी भूमि पर आज तक लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। वाहमी बंटवारा अनुसार वादीगण को चक 21 एच के खाता संख्या 46/8 के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 2, 3, 4 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 5 में 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 8, 9 प्रत्येक सालम-सालम व मुरब्बा नम्बर 70/15 की 0.015 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला कुल 1.507 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण ने आज से दो रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 21 एच के खाता संख्या 46/8 के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 2, 3, 4 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 5 में 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 8, 9 प्रत्येक सालम-सालम व मुरब्बा नम्बर 70/15 की 0.015 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला कुल 1.507 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान वादीगण के नाम कायम किए जाने के आदेश फरमावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 8, 14, 15 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित आए व प्रतिवादी संख्या 6, 7, 10, 11, 12, 13 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 2 व 9 के सम्मन पर रिपोर्ट प्राप्त हुई कि सायल फौत हो चुके है। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी प्रस्तुत किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 9 के विधिक वारिसान को बतौर प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित किया गया। सशोधित शीर्षक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 2/1, 2/2, 9/1, 9/2 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित आए। प्रतिवादीगण अधिवक्ता के द्वारा पत्रावली पर अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 8, 9/1, 9/2 14, 15 की ओर से जवाबदावा पेश नहीं करना चाहता। लिहाजा प्रतिवादीगण संख्या 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 8, 9/1, 9/2 14, 15 का जवाबदावा बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र, एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 21 एच, पटवार हल्का 8 वीं, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 46/08 के मुरब्बा नम्बर 35, 36, 70/15 की कुल 7.600 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 गोविन्द्र सिंह के नाम 0.151 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 जगसीर सिंह के नाम 0.151 हैक्टेयर, वादी संख्या 3 जितेन्द्र कौर के नाम 0.905 हैक्टेयर, वादी संख्या 4 बलविन्द्र कौर के नाम 0.150 हैक्टेयर, वादी संख्या 5 सुखविन्द्र कौर के नाम 0.150 हैक्टेयर भूमि हिस्सा में आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें**। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक

अधिकारी (राजस्व)

प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस उभयपक्ष वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5.अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 21 एच, पटवार हल्का 8 वीं, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 46/08 के मुरब्बा नम्बर 35, 36, 70/15 की कुल 7.600 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 गोविन्द सिंह के नाम 0.151 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 जगसीर सिंह के नाम 0.151 हैक्टेयर, वादी संख्या 3 जितेन्द्र कौर के नाम 0.905 हैक्टेयर, वादी संख्या 4 बलविन्द्र कौर के नाम 0.150 हैक्टेयर, वादी संख्या 5 सुखविन्द्र कौर के नाम 0.150 हैक्टेयर भूमि हिस्सा भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गोविन्द सिंह पुत्र बुध सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर(0.151 हैक्टेयर) जगसीर सिंह पुत्र बुध सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर(0.151 हैक्टेयर) जितेन्द्र कौर पत्नी बुध सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर।(0.905 हैक्टेयर) बलविन्द्र कौर पुत्री बुध सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर।(0.150 हैक्टेयर) सुखविन्द्र कौर पुत्री बुध सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर।(0.150 हैक्टेयर)	21 एच	36 70/15	2, 3, 4 5 8, 9	0.759 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.015 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी गै.मु.खा.	6.30 1.88 4.20 0.00

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 14.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

गोविन्द सिंह आदि बनाम कमलजीत कौर आदि

धारा अन्तर्गत **53** आरटीए मुकदमा नम्बर **52/2021**

निर्णय दिनांक :- 14.12.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, सुखविन्द्र सिंह सरां** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 21 एच, पटवार हल्का 8 वीं, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 46/08 के मुरब्बा नम्बर 35, 36, 70/15 की कुल 7.600 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 गोविन्द सिंह के नाम 0.151 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 जगसीर सिंह के नाम 0.151 हैक्टेयर, वादी संख्या 3 जितेन्द्र कौर के नाम 0.905 हैक्टेयर, वादी संख्या 4 बलविन्द्र कौर के नाम 0.150 हैक्टेयर, वादी संख्या 5 सुखविन्द्र कौर के नाम 0.150 हैक्टेयर भूमि हिस्सा भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गोविन्द सिंह पुत्र बुध सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर(0.151 हैक्टेयर) जगसीर सिंह पुत्र बुध सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर(0.151 हैक्टेयर) जितेन्द्र कौर पत्नी बुध सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर ।(0.905 हैक्टेयर) बलविन्द्र कौर पुत्री बुध सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर ।(0.150 हैक्टेयर) सुखविन्द्र कौर पुत्री बुध सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर ।(0.150 हैक्टेयर)	21 एच	36 70 / 15	2, 3, 4 5 8, 9	0.759 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.015 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी गै.मु.खा.	6.30 1.88 4.20 0.00

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 18.12.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	200	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	204	00	**योग**	**02**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांक: रीडर/ 2023/577 दिनांक: 18.12.2023

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर